

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 32/2024

मन्नी देवी बनाम सरकार

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी ने यह वाद बाबत इन्द्राज दुरस्ती का पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर 258, 259 कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 है० वाके ग्राम शूणीमंगलदासउर्फरामकिशनपुरा तहसील कोटखावदा मे वादी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादिया के पति का नाम में जाति खटीक दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक जाति बैरवा दर्ज होना बताया है।</p> <p><u>प्रार्थी/वादीगणों</u> के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति का नाम में जाति खटीक के नाम दर्ज चली आ रही है।</p> <p>अतः जवाब सरकार एवं वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि वादीया के पति का नाम में जाति खटीक के स्थान पर जाति बैरवा की जावें। अतः वादिया के पति का नाम में जाति बैरवा विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में जाति खटीक के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p>	

36  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)